31 Written Answers

विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत धनराशि के उपयोग में विलम्ब

*527. श्री राम जेठमलानी: क्या खित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 1996 के ''इकोनॉमिक टाइम्स'' में ''यूटीलाइज़ एड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी विसीय संस्थाओं द्वारा देश में विकास परियोजनाओं के निर्माण-कार्य के लिये स्वीकृत की गई धनराशि का समय पर उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि परियोजनाओं के निर्माण-कार्य हेतु मार्च, 1996 तक स्वीकृत विदेशी ऋणों में से 57,000 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका; और

(म) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है? कित मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विदेशी सहायता मुख्य रूप से परियोजना सहबद्ध है और इसलिए किसी परियोजना के लिए स्वीकृत सहायता का उपयोग परियोजना कार्यान्वयन को समयावधि पर निर्भर करता है। परिणामस्वरूप दी जा रही सहायता को दिखाते हुए किसी एक निश्चित समय पर सहायता को शेष राशि अनाहरित रहेगी, और उस सहायता राशि को परियोजना कार्यान्वयन के दौरान समाहित कर लिया जाएगा। दिनांक 31.3.96 को स्थिति के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी लेखों में अप्रयुक्त विदेशी सहायता की राशि 55,023.10 करोड़ रुपए (अनन्तिम) है।

तथापि, विदेशी सहायता का उपयोग प्रत्याशा से कम है। इसका कारण निधि सम्बन्धी अड़चने, वसूली एवं संविदा संबंधी विलंब, भूमि अधिप्रहण में विलंब और अन्य परियोजना से सम्बद्ध विशिष्ट मामले हैं। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियों का प्रावधान सुनिचित करना, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को अतिरिक्त राशि के रूप में शत प्रतिशतः जारी करना, राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अग्रिम भुगतान, बोली संबंधी दस्तावेओं का मानकीकरण एवं वसूली प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली विदेशी सहायता में से मेध्यस्थों को हटाना, निवेश सूची का यौक्तिकीकरण और परियोजना प्रबंधन एकक की स्थापना करना, ये कुछ कदम हैं जो सरकार ने सहायता राशि के उपयोग में सुधार लाने के लिए उठाए है।

उच्च न्यायालयों और उच्चत्तम न्यायालय में न्यायाधीशों के न्यायालय-वार स्वीकृत पदों की संख्या

*528. श्री अजीत जोगीः श्रीमती वीणा वर्षाः

[RAJYA SABHA]

क्या विधि और न्याय मंत्री 16 जुलाई, 1996 और 30 जुलाई, 1996 को राज्य सभा में क्रमशः अतारांकित प्रश्न 294 और 1597 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार न्यायालय-वार न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकन्त डी॰ खालप): अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

क्र∘सं∘		स्वीकृत पद संख्या	रिक्तियां
	उच्च न्यायालय		-
1.	इलाह्यबाद	71	3
2.	আন্ধ সইয়া	36	2
3.	मुंबई	59	8
4.	कलकत्ता	48	8
5.	दिल्ली	31	3
6.	गौहाटी	18	1
7.	गुजरात	32	2
8.	हिमाचल प्रदेश	8	_
9.	जम्मू-कश्मीर	11	1
10.	कर्नाटक	34	3
11.	केरल	28	5
12.	मध्य प्रदेश	34	5
13.	मद्रास	29	4
14.	उड़ीसा	15	2
15.	पटना	37	4
1 6 .	पंजाब और हरियाणा	37	5
17.	राजस्थान	32	
18.	सिकिम	3	1
	यो ग	563	57
	चतम न्यायालयः खी	कृत पद =	26
संख्या वास्तविक पद संख्या = 25			25
	रि	वत पद =	51

to Qı